ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 176-178**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

भारतीय संघवाद की बदलती प्रवृत्तियाँ

1. डॉ0 आशीष कुमार बरियार
2. राजिया अहसन

1. शोध–पर्यवेक्षक/सहायक–प्राध्यापक, 2. शोधार्थी, राजनीति शास्त्र विभाग सी0 एम0 कॉलेज, (आर्ट्स एंड कॉमर्स), ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा (बिहार) भारत

Received-05.12.2024, Revised-13.12.2024, Accepted-19.12.2024 **E-mail : aa.bariyar@gmail.com**

सारांशः ***भारत एक बहुभाषी और बहु–सांस्कृतिक राष्ट्र है, जहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, परंपराएँ और भाषाएँ विद्यमान हैं। संघात्मकता उन देशों के लिए बहुत उपयुक्त शासन सिद्धान्त है जो सांस्कृतिक व सामाजिक रूप से विविध हैं, जिनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर बाहरी खतरे का दबाव है और जिन्हें आर्थिक विकास तथा समृद्धि की तलाश है। जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने ये सारी समस्याएँ थी और इन सारी समस्याओं को महेनजर रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। भारतीय संघवाद के प्रमुख कारकों में देश की सामाजिक संस्कृति, क्षेत्रीय विविधता एंव भारतीय, राष्ट्रीय नेतृत्व की राष्ट्रवादी सहमति के कारक भी महत्वपूर्ण स्थान रखते है। भारत में संघीय प्रणाली का विकास और उसका स्वरूप एकता और विविधता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। संघवाद की अवधारणा संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित है। संविधान की सातवीं अनुसूची संघ–राज्य संबंधों की आधारशिला है। हालाँकि यह प्रणाली स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ–साथ बदलती रहती है। पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण, आर्थिक सुधारों और राजनीतिक परिवर्तन ने भारतीय संघवाद को गहराई से प्रभावित किया है। इस लेख में हम भारतीय संघवाद, उसकी वर्तमान प्रवृत्तियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।***

कुंजीभूत शब्द– भारतीय संघवाद, सांस्कृतिक राष्ट्र, परम्पराऐं, संघ–राज्य, अभिव्यन्जित, शासनतंत्र, अर्ध एकात्मक, सातवीं अनुसूची

भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद भारत को "राज्यों के संघ" के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन 1950 में भारतीय संविधान के क्रियान्वित होते ही भारतीय संघवाद के स्वरूप के विषय में भारतीय एंव पाश्चात्य विद्वानों की मिश्रित प्रतिक्रिया रही । ग्रेनविल आस्टीन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद के रूप में परिभाषित किया हैं। दुसरी तरफ, के॰ सी॰ वियर ने अर्ध–संघीय सरकारी व्यवस्था तथा गौण एकिक गुणों से युक्त संघीय राज्य की तुलना में गौण संघातमक गुणों से सम्पन्न एक ऐकिक राज्य के रूप में अभिव्यन्जित किया। आइवर जेनिंग्स ने भारत को "दृढ़ केन्द्रीय प्रवृत्तियों वाला संघ राज्य" बताया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश फली नरीमन जैसे वकील ने इस संस्थागत प्रणाली को "अर्ध एकात्मक" बताया। डा॰ अंबेडकर के शब्दों में "यह एक संघीय संविधान है क्योंकि यह एक दुहरे शासनतंत्र की स्थापना करता है, जिसमें केन्द्र में संघीय सरकार तथा चारों ओर परिधि में राज्य सरकारें हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती है।"

1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद ही संविधान सभा ने एक ऐसी प्रणाली की आवश्यक्ता महसूस की जो भारत की बहुलवादी संरचना को ध्यान में रखते हुए सत्ता का विभाजन करे। इस प्रणाली में केन्द्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई लेकिन राज्यों को भी उनके अधिकार प्रदान किए गए।

संघ–राज्य शक्ति–विभाजन– भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के ग्यारहवें भाग में 19 धाराओं में (धारा 245–263) इन सम्बन्धों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 249 यह प्रावधान करता है कि सातवीं अनुसूची में शामिल संघ सूची पर संसद को तथा राज्य सूची पर राज्य के विधान–मंडलों को, विधि निर्माण की अनन्य शक्ति है। समवर्ती सूची पर संसद अथवा राज्य विधायिकाएं दोनों ही कानून बना सकती हैं, पर विधानों में प्रतिरोध की स्थिती में संसदीय विधायन अभिभावी होगा (अनुच्छेद 251)। अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ जो किसी भी सूची में प्रगणित नहीं हैं, संसद के अन्नय या अवशिष्ट क्षेत्राधिकार में आती हैं। इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 249, 252, 253, 254, 250, 356 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद से यह प्रार्थना करे कि संसद उनके लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाये तो संसद को यह शक्ति प्राप्त हो जायेगी कि वह उस विषय पर कानून बनाए।

अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। संविधान में केन्द्र–राज्य प्रशासनिक संबंधों व वित्तीय संबंधों तथा कराधान की शक्तियों एवं राजस्व के वितरण की भी व्यापक तथा संश्लिष्ट व्यवस्था कर दी गयी है। आपातकाल की स्थिति में ही नहीं, बल्कि साधारण स्थिति में भी, संघ सरकार की स्थिति, राज्य सरकारों की अपेक्षा, ज्यादा प्रबल है। भारत ने अपने इतिहास व वर्तमान के अनुभवों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप एक केंद्रित संघीय संविधान का विकल्प अपनाया।

भारतीय संघवाद में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ– समय के साथ–सथ भारतीय संघवाद में कई परिवर्तन देखने को मिलते है। इसमें से कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैः

(1) राजनीतिक केन्द्रीकरण : पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के अधिकारों में वृद्धि देखी गई है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और जम्मू–कश्मीर को पूर्ण राज्य से केन्द्र शासित प्रदेश में बदलना एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने संघीय ढ़ाँचे में केन्द्रीय सरकार की भूमिका को सुंदृढ़ किया। साथ ही विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (CBI), जैसी केन्द्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की बढ़ोत्तरी देखी गई। इन केन्द्रीय एजेसियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरूपयों विपक्षी दलों को कमजोर करने और केन्द्र की शक्ति को मजबूत करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त कई बार केन्द सरकार ने संवैधानिक शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए राज्यों पर हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के तौर पर केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक,

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

अरूणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में राज्यपाल की भूमिका को लेकर केन्द्र सरकार को उच्च न्यायलय तथा सर्वोच्च न्यायलय द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई। गोवा और मणिपुर में भी सरकार बनाने के समय राज्यपालों के आचरण की सर्वत्र आलोचना हुई। 2019 में जब महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नियम कायदों को किनारें रखकर देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी, इससे राज्यों की स्वायत्ता को चुनौती मिली है।

(2) वित्तीय संघवाद में सुधारः वित्तीय संघवाद, संघीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक निष्पक्ष वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग का कार्य राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं को कम करने हेतु वित्तीय सहायता एंव वित्तीय अनुदानों की सिफारिश करना है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है तथा अनुच्छेद 275 के अनुसार, यह राज्यों को दे दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता और अनुदान का स्वरूप एंव मात्रा तय करता है। 14 वें और 15 वें वित्त आयोग ने राज्यों को उनके हिस्से का अधिक राजस्व देने की सिफारिश की जिससे राज्यों को आर्थिक स्वतंत्रता मिले और वे अपनी योजनाओं को स्वतंत्र रूप से लागू कर सके। 2015 में मोदी सरकार ने 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को कबूल कर राज्य सरकारें की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 32 से 42 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि उनकी वित्तीय स्वयत्तता में सुधार हो सके। हालाँकि, जीएसटी (वस्तु एंव सेवा कर) जैसे आर्थिक सुधारों ने राज्यों की कराधान स्वतंत्रता को सीमित किया है। जुलाई 2017 में जब केन्द्र सरकार ने वस्तु और सेवाएं कर (ळैज) लागू किया था, तो इसे भारत में टैक्स प्रणाली को एकीकृत करने के लिए ऐतिहासिक कदम बताया गया था। केंन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग के दुर्लभ पल के तहत, भारत के सभी राज्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए, केन्द्र सरकार के ळैज लागू करने के कदम में अपना सहयोग दिया और इसी वजह से टैक्स सुधार मुमकिन हो सका। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बहुत से विषय निष्प्रभावी हो गए। कई राज्य सरकारों ने इसे वित्तीय स्वायत्तता में बाधा माना। ळैज परिषद के फैसले लेने के ढ़ांचे को लेकर भी राज्यों और केन्द्र के बीच अविश्वास की दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों को लगता है कि ळैज परिषद की फैसले लेने की प्रक्रिया में केन्द्र सरकार का दबदबा है। चूंकि इस परिषद के पास 33 में से वोटिंग के एक तिहाई अधिकार हैं जबकि बाकी के 22 वोट 31 राज्यों और केंन्द्र शासित प्रदेशों के बीच बटे हुए हैं। ळैज परिषद के किसी भी फैसले पर मुहर के लिए तीन चौथाई बहुमत या कम से कम 25 वोट की दरकार होती है। चूंकि केन्द्र के पास एक तिहाई वोट हैं, तो एक तरह से उसके पास वोटो का भी अधिकार है। इसके साथ ही देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या उसकी अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (छव।) की सरकारें है। हाल ही में केंद्र सरकार बनाम मोहित मिनरल्स केस, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ळैज परिषद के फैसले मानने के लिए राज्यों की सरकारें बाध्य नहीं है और वह 101 वें संविधान संशोधन की धारा 246। के तहत ळैज पर स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का हक रखती है।

(3) विकास और योजनाओं का केन्द्रीकरणः वित्तीय संसाधनों के बंटवारे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के बढ़ते महत्व, योजना आयोग, योजना आयोग के बाद नीति आयोग जिन्हें लेकर राज्यों द्वारा हमेशा यह कहा जाता है कि ये संस्थाँ उनकी स्वायत्तता को सीमित करती है इन सभी चीजों में सत्ता के केन्द्रीकरण को देखा जा सकता है।

2001 से 2014 तक 13 वर्षों तक गुजराज के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी ने शिकायत की कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अत्यधिक केन्द्रीकरण का रवैया अपनाया है और 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने का वादा किया। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अपना पदभार संभालने के कुछ सप्ताह बाद ही 15 अगस्त 2014 को अपने पहले भाषण में योजना आयोग को खत्म करने की अपनी योजना की घोषणा की जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया।

भारत में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद संविधानेत्तर संस्थाएँ थी जो व्यवहार में मन्त्रिमण्डल और संसद से भी अधिक प्रभुत्वशाली हो गई। यर्थाथ में इन दोनों संस्थाओं की रचना न तो संविधान द्वारा की गई और न किसी संसदीय अधिनियम द्वारा, फिर भी व्यवहार में ये नीति निर्माता निकाय बन गए। व्यवहार में इनके सुझाव नीति निदेशन (च्वसपबल क्पतमबजपअमे) बन गए हैं जिनका पालन न केवल राज्यों के मंत्रीमणडल करते अपितु हमारी संसद को भी करना होता। अशोक चन्दा सिखों ने लिखा है कि योजनाओं ने भारत में लोकतंत्र व संघवाद दोनों को मात दे दी।

नीति आयोग का गठन भी संसद के किसी कानून के अन्तर्गत नहीं हुआ है, बल्कि यह केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद के निर्णय पर आधारित है। पहले योजनाएँ ऊपर से बनाकर गाँव स्तर तक ले जाने की नीति थी अब गाँव के स्तर से ऊपर जाने की नीति अपनाई जाएगी। योजना आयोग के मार्ग निर्देशन के लिए पहले एक राष्ट्रीय विकास परिषद थी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकार के नामित सदस्य होते थे। इस परिषद का क्या होगा, इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, किन्तु नीति आयोग का जो ढ़ाँचा प्रस्तुत किया गया है उसमें इस परिषद की आवश्यक्ता ही नहीं है। नीति आयोग का गठन योजनाओं के विकेन्द्रीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो भाजपा द्वारा विकेन्द्रीयकरण के ज्यादातर वादों को पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं किया गया बल्कि इसके विपरित अधिक केन्द्रीकरण को जन्म दिया जैसे– एक राष्ट्र एक बाजार, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक वित्त, सरकार ने कई ऐसी योजनाए और दृष्टिकोंण प्रस्तावित किए जो संघीय सिद्धांत को कमजोर कर सकते हैं। इन योजनाओं के कारण केन्द्र राज्य सूची के विषयों पर भी हावी हो रहा है। हालिया कृषि कानून और नए सहकारिता मंत्रालय का गठन भी राज्य सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन है। यह कानून राज्य सूची का अतिक्रमण करता है क्योंकि सहकारिता और कृषि एंव बाजार राज्य सूची के विषय हैं।

(4) राजनीतिक दलों का प्रभाव : संघ राज्य सहयोग तथा संघ राज्य मतभेद के बीच वर्ष 1967 विभाजक बिन्दु है वर्ष 1967 से पूर्व के समय को संघ राज्य सहयोग का स्वर्ण युग अथवा शक्तिशाली केन्द्र और आज्ञाकारी राज्यों का युग कहते हैं। 1947 से 1967 के दौरान केन्द्र व राज्य के मध्य कोई बड़ा विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण कांग्रेस दल का केन्द्र और राज्यों में सत्तारूढ़ होना माना जाता है। वर्ष 1967 के बाद भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 1967 के बाद कांग्रस का वर्चस्व टूटा और कई राज्यों में संविदा सरकारें सत्ता में आई और यहीं से केन्द्र–राज्य संबंधों में विवाद की शुरूआत हुई। ऐसे अनेकों मौके आए जब सहयोगी दलों ने अपनी शर्तों पर केन्द्रीय सरकार को समर्थन दिया। कई ऐसी स्थितियाँ आई जब राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली दिखीं। यह दौर तब बदला जब 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और एनडीए सरकार के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी ने राज्य सरकारों को संघ और अन्य राज्यों के साथ

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

सुशासन, विकास और समावेशी राजनीति में प्रतिस्पर्धा करने का आश्वासन किया और इसे 'सहकारी संघवाद' की शुरूआत बताया। लेकिन इस दौर में भी केन्द्र सरकार पर गैर–बीजेपी सरकार वाले राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगे। 2019 के बाद का दौर तो संघीय व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक दौर रहा है। वर्ष 2019 के प्रारम्भ में सीबीआई को लेकर केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। चन्द्रबाबू नायडू एंव भूपेश बघेल ने भी सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की और कहा कि सीबीआई को बिना अनुमति जाँच के लिए उनके राज्य में घुसने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (LG) के बीच भी लगातार अपने अधिकारों को लेकर विवाद होते रहे हैं। 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विद्यायक' को लेकर केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच काफी विवाद हुए अरविन्द केजरीवाल ने इन्हे एक बड़े संघीय मुद्दे के रूप में पेश किया उन्होंने कहा के इस कानून द्वारा भाजपा सरकार ने लगभग सभी सक्तियाँ छीन ली हैं और उसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित उपराज्यपाल को सौंप दी है। उनका ये भी कहना है कि तमाम ऐसी योजनाएँ होती है जिनपर (LG) की अनुमति मिलने में दिक्कत होती है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टींग पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ;छब्ज्द्ध अधिनियम 1991 में महत्वपूर्ण संशोधन कर प्रशासनिक सेवाओं पर केन्द्र के नियंत्रण को बहाल कर दिया। 2022 में आईएएस कैडर रूल को लेकर केन्द्र सरकार और ममता सरकार के बीच काफी टकराव हुए। केन्द्र सरकार आईएएस कैडर रूल में संशोधन करना चाहती थी जिसका ममता बनर्जी ने प्रतिवाद किया। इस दौरान विपक्षी दलों वाले राज्यों ने केन्द्र पर यह संघीय संरचना को कमजोर करने के आरोप लगाए। 2019 में जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य से केन्द्र शासित प्रदेश में बदला जाना, अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर, गोवा, राजस्थान, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना, आदि को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।

निष्कर्ष– इस प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार की अपेक्षाकृत शक्तिशाली स्थिति ने राज्यों की स्थिति – प्रभावित किया है, किन्तु फिर भी राज्य केन्द्रीय सरकार की प्रशासनिक इकाइयां मात्र नहीं है। सुदृढ़ केन्द्र के बावजूद झुकाव केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोगी साझेदारी के सम्बन्ध की ओर है। सहयोगी संबंध में स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता दोनो होती है और यही समकालीन संघवाद की विशिष्टता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ऑस्टिन, ग्रनविल (1999) दी इंडियन कॉन्स्टीट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, यू॰ एस॰ ए॰ ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।
2. कोठारी, रजनी 2013 भारत में राजनीति, हैदराबाद, औरिएण्ट, ब्लैकस्वान।
3. चौधरी, बी॰ सी॰ (2020) आधुनिक भारतीय राजनीति में संधीयता, रूटलेज।
4. जोनस, मोरिस (1971) इण्डियन गर्वमेंट एण्ड पोलिटिक्स।
5. पाल, अमिताभ (2021) "जीएसटी और संघीय ढ़ाँचाः एक विश्लेषण" इंडियन पॉलिटिकल जर्नल, खण्ड 26 अंक 31.
6. फाड़के, शरद (2003) भारतीय संघवाद का राजनीतिक अर्थशस्त्र, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. बसु, डॉ0 दुर्गादास 2000 भारत का संविधान एक परिचय, बाघवा एण्ड कम्पनी, नागपुर।
8. बासु, डी॰ डी॰ (2015) भारत का संविधान, लेक्सिसनेक्सिस पब्लिकेशन।
9. भारतीय विधि आयोग (2010) संवैधानिक तंत्र मं संघीय असंतुलन की समीक्षा, भारत सरकार।
10. मेनन, एन॰ आर॰ माधन (2013) भारतीय संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. योजना आयोग (2008) केन्द्र–राज्य संबंध और विकास भारत सरकार।
12. सी जैफरलॉट और संस्कृति कल्याणकर (2017) किस दह तक भारत राज्यों का संघ है, "अर्ध संघवाद" से "राष्ट्रीय संघवाद तक" इंस्टीट्यूट मोंटेन।
13. वियर, के॰ सी॰ (1946) फेडरल गवर्नमेंट।

*****